

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB KARNAL Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0005 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 28/05/2020 12:50 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 218 |
| 3 | IPC 1860 | 409 |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | IPC 1860 | 466 |
| 6 | IPC 1860 | 467 |
| 7 | IPC 1860 | 468 |
| 8 | IPC 1860 | 471 |
| 9 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 10 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(c) |
| 11 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/05/2020 Time (समय): 12:21 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 28/05/2020 12:21 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-WEST, 85 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जिला जीन्द

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): KANU PRIYA

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 08/01/1981 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार			1. सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	राजिन्द्र सिंह सांगवान			1. पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA
3	बिलेन्द्र सिंह			1. जीन्द, JIND, HARYANA, INDIA
4	श्री जगतलाल			1. जीन्द, JIND, HARYANA, INDIA
5	अरविन्द सांगवान		Father's Name: चांदी राम	1. 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, HISAR, HARYANA, INDIA
6	श्री तेजपाल		Father's Name: श्री तुलसी राम	1. गांव खरकखुर्द, BHIWANI, HARYANA, INDIA
7	सुरेन्द्र कुमार		Father's Name: श्री राजपाल	1. गांव सिवाह, PANIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबंधक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिनांक 07.06.2019 की अनुपालना मे जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.06.2019 पंचकुला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 9625/आई0-1/रा0चौ0ब्यूरो, दिनांक 13.06.2019 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, व 30नि0 राजेन्द्र कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला द्वारा की गई थी। जांच मे मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृत्ति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारियो द्वारा सम्बन्धित जिला के शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रों को छात्रवृत्ति ना देकर उनके आधार न0 व खाता न0 बदलकर अपने जानकार लोगों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि डालकर सरकार की करोड़ों रुपये की राशि का गबन किया है। आरोप की जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम की अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रुपये प्रति मास तक छात्रवृत्ति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के छात्रों को 160 रुपये से 750 रुपये तक प्रति माह छात्रवृत्ति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से ट्यूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/-रुपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 से पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 में यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफ्टवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आईडी व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेसित कर देते हैं। हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेसित करते हैं। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानों से व राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति मंजूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिश ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिश के आधार पर नोटिंग पर केंस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्प्यूटर पर मैन्यूअली छात्रों की सूची तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतु भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0ओ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते हैं। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0ओ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैंक में छात्रों के खातों में राशि ट्रांसफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक में भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रांसफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रांसफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते हैं। अगर कोई खाता आधार से लिंक नहीं होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नहीं गई। जो ड्राफ्ट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते हैं डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते हैं कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रांसफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटियां लगाई गई हैं उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दौबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता में राशि ट्रांसफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटियां ठीक करवाते हैं। जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम ऑन लाईन चलाई गई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत पुत्र श्री राजपाल, वासी गांव सिवाह, जिला पानीपत को समय-2 पर जिला सोनीपत से मुख्यालय पर बुलाकर इस स्कीम में काम करवाया गया। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति राशि की मंजूरी मिलने उपरान्त Excel फाईल तैयार की जाती थी, जिसमें छात्रों के आधार न0 बदल दिये जाते थे। यह आधार न0 सुरिन्द्र कुमार को अनिल कुमार, उप निदेशक व बलिन्द्र सिंह, सहायक द्वारा पैन ड्राईव में उपलब्ध करवाए जाते थे। राजिन्द्र सांगवान, अनिल कुमार उप निदेशक, बलिन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र सिंह लेखाकार कम लिपिक ने मिलकर प्रशिक्षण शाखा में मैन्यूअल Excel फाईल तैयार करते समय छात्रों के आधार न0 बदल दिये और Excel फाईल बिल तैयार करने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा में भिजवा दी। डी0डी0ओ0 द्वारा बिल बनाकर खजाना कार्यालय से बिल पास करवाने उपरान्त बैंक में भेजने के लिए XML तैयार करवाई गई जिसमें भी आधार न0 बदले जाने पाये गए हैं, क्योंकि छात्रों के उन खातों में राशि ट्रांसफर होनी थी, जो खाते आधार नम्बर से लिंक थे। उपरोक्त अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत्त, बिलेन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री जगत राम, जिला कल्याण अधिकारी जीन्द ने अरविन्द सांगवान पुत्र चांदी राम निवासी म0न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार व श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी से मिलीभगत करके अपराधिक षडयंत्र रचकर सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने-2 पदों को दुरुपयोग करके हरियाणा राज्य से बाहर के राज्यों के शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में जिला जीन्द के अलग-2 गांव व जीन्द शहर के अनुसूचित जाति के छात्रों को झूठ बोलकर उनके दस्तावेज दसवीं व बाहरवीं के प्रमाण पत्रों की प्रतियां जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त 31 छात्रों में से 27 छात्रों के अगस्त 2016 व 4 छात्रों के मार्च, सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर 2017 में वी0एल0डी0ए0/एम0पी0एच0डब्ल्यू0 कोर्स करने के लिए लवली प्रोफेशनल संस्थान पंजाब में फर्जी दाखिले दिखाकर ऑनलाईन आवेदन जिला कल्याण अधिकारी, जीन्द के पोर्टल पर किए जाने पाए गए हैं। जांच के दौरान लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालयों फगवाड़ा, पंजाब को मेल भेजकर इन छात्रों बारे तसदीकी की गई। विश्वविद्यालयों द्वारा मेल के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके विश्वविद्यालयों में एम0पी0एच0डब्ल्यू0 व वी0एल0डी0ए0 का कोर्स नहीं करवाया जाता और ना ही उनके विश्वविद्यालयों के अधीन चल रहे शिक्षा संस्थानों में यह कोर्स करवाया जाता है। इन सभी 31 छात्रों के बैंक खाते बैंक आफ बडौदा, हांसी व सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, गांव रिडाना जिला सोनीपत में खुलवाए जाने पाए गए। जिनमें से सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा 22 छात्रों व 06 छात्रों के खाते बैंक आफ बडौदा, हांसी तथा तीन छात्रों के खाते अन्य बैंकों व शहरों में खुलवाए जाने पाए गए। जिनकी खाता स्टेटमेंट प्राप्त की गई जिनमें छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर होनी पाई गई है और यह राशि अगस्त 2017 में अलग तारीखों में ए0टी0एम0 से सभी खातों से निकाली जानी पाई गई है तथा छात्रवृत्ति आवेदनों की एकल शीट व आवेदनों के साथ लगाए गए दस्तावेजों की प्रतियां निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ से प्राप्त की गई। यह सभी आवेदन श्री जगत राम, जिला कल्याण अधिकारी जीन्द द्वारा दिनांक 28.06.2017 को बिना जांच किए तथा झूठा अनुमोदन व संस्तुति रिपोर्ट के साथ छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यालय पर भेजे जाने पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य छात्र का आधार न0 लेखा शाखा में बदलकर 28,100/-रुपये की राशि तथा 31 छात्रों की छात्रवृत्ति राशि 36,66,960/-रुपये कुल 36,95,060/-रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। अतः उपरोक्त के विरुद्ध धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। अगर तफतीश के

I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म-I)

दौरान विरेन्द्र पुत्र चांदी राम वासी बडनपुर, जिला जीन्द, साहब सिंह पुत्र हवा सिंह, कमल, कुलदीप, डा0 सत्यावान, श्याम पुत्र प्रताप वासी म0न0 447, वार्ड न0 7, बरवाला, राजा राम पुत्र चतर सिंह, वासी गांव किनाला, तहसील बरवाला, जिला हिसार, श्यामलाल पुत्र अमर सिंह वासी बुढाखेडा जिला हिसार, मनीष पुत्र रोशन लाल सैणी वासी म0न0 191, गली न0 6, औम नगर, जीन्द व अन्य किसी व्यक्ति या अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की व सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने सुझाव दिया गया था। जांच के दौरान जीन्द के शिक्षा संस्थानों से प्राप्त रिकार्ड से पाया गया कि उनके संस्थानों में से काफी छात्र पढाई बीच में छोड़कर चले गए थे। जिनका विवरण संस्थान अनुसार अन्तिम रिपोर्ट में है, को भी तफतीश के दौरान शामिल तफतीश करके यह तसदीक करने का सुझाव दिया जाता है कि इन छात्रों द्वारा उक्त संस्थानों में पढाई छोड़कर किसी अन्य संस्थान में दाखिला तो नहीं लिया था। जिला पानीपत, करनाल व जीन्द से सम्बन्धित जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 22-75/रा0चौ0ब्यू0(ह) दिनांक 17.02.2020 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यदि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिनांक 17.03.2020 के अनुसार जांच में दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 3958/आई-1 दिनांक 20.12.2020 के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अतः जिला जीन्द की घटना के बारे में अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत्त, बिलेन्द्र सिंह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री जगतराम, जिला कल्याण अधिकारी जीन्द, अरविन्द सांगवान पुत्र चांदी राम निवासी म0न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार व श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी के विरुद्ध धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक बलवान सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, जीन्द के हवाले की जावे। Sd Kanupriya निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। अज थाना :- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नम्बर 05 दिनांक 28-05-2020 धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर ई0 मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार न0 1666/रोहतक के हवाले की जाकर रवाना निजद निरीक्षक बलवान सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरो, उप-केन्द्र जीन्द का किया गया है वा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से महिला निरीक्षक कनुप्रिया की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Balwan Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 533H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Shyam Lal

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/06/1964				Is Proxitted: Yes
2	Male	17/06/1964				Is Proxitted: Yes
3	Male	27/01/1970				Is Proxitted: Yes
4	Male	12/06/1979				Is Proxitted: Yes
5	Male	11/06/1974				Is Proxitted: Yes
6	Male	11/06/1974				Is Proxitted: Yes
7	Male	30/12/1968				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)